मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

क्रमांक 20447/04/2015/चयन इन्दौर, दिनांक 28 MAR 2017

// विज्ञप्ति //

विषय :– आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02/चयन/2015/ दिनांक 31.03.2015 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन, आयुष विभाग के अन्तर्गत विशेषज्ञ आयुर्वेद परीक्षा–2015 के लिखित परीक्षा के परिणाम पश्चात् अभिलेख प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश ।

---00---

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02/चयन/2015/ दिनांक 31.03.2015 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के अन्तर्गत विशेषज्ञ आयुर्वेद परीक्षा–2015 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था । उपरोक्त पदों हेतु ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की गई थी । लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 24.03.2017 को घोषित किया गया है । लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइड WWW.mppsc.com एवं WWW.mppsc.nic.in से व्यक्तिगत विवरण पत्रक, अनुप्रमाणन फार्म एवं उपस्थिति पत्रक की प्रति डाउन लोड कर लें ।

02/ **निम्नलिखित दस्तावेज दिनांक 26.04.2017 तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा करना अनिवार्य हैं** :–

01. **व्यक्तिगत विवरण पत्रक** :– एक मूल प्रति समस्त कॉलम की पूर्ति कर प्रस्तुत करना है ।

02. **अनुप्रमाणन फार्म** :– एक मूल प्रति समस्त कॉलम की पूर्ति कर प्रस्तुत करना हैं ।

03. हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा की अंक सूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

04. स्नातक प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक सेमेस्टर की अंकसूचियां एवं उपाधि की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

05. विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद के किसी क्लीनिकल विषय में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंकसूचियों की प्रमाणित प्रति ।

06. मध्यप्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेद एवं यूनानी बोर्ड में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति ।

07. मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति, उक्त प्रमाण पत्र में क्रमांक एवं जारी करने का दिनांक एवं गोल सील अंकित होना अनिवार्य हैं, साथ ही जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम की सील अंकित होना अनिवार्य हैं ।

08. **आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र । विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति । जाति प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक दर्ज होना अनिवार्य हैं, जाति प्रमाण पत्र केवल म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया ही मान्य होगा ।**

09. पहचान प्रमाण पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति) ।

10. शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

11. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की आवेदकों को परिवार की आय का नवीन प्रमाण पत्र ।

12. ऑन लाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति ।

03/ आवेदकों द्वारा भेजे गये समस्त प्रमाण पत्रों की संवीक्षा की जावेगी, जिसमें यह देखा जावेगा कि आवेदक विज्ञापन में विज्ञापित समस्त अर्हताओं को पूर्ण करते है अथवा नहीं, आवेदन पत्रों की संवीक्षा उपरांत जो आवेदक विज्ञापन में विज्ञापित शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य शर्तो को पूर्ण नहीं करते हैं, उन्हें साक्षात्कार हेतु अनर्ह घोषित किया जावेगा । साक्षात्कार हेतु अर्ह आवेदकों को साक्षात्कार पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्ज ई–मेल एड्रेस पर उपलब्धकराये जाने के साथ ही आयोग की वेबसाइड के माध्यम से भी उपलब्ध कराये जावेंगे । **साक्षात्कार हेतु योग्य आवेदकों को साक्षात्कार दिवस को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति निम्नानुसार प्रस्तुत की जाना होगी** :–

01. हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा की अंकसूची ।

02. स्नातक प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक सेमेस्टर की अंकसूचियां एवं उपाधि की प्रति ।

03. मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति ।

04. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र की प्रति।

05. विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद के किसी क्लीनिकल विषय में सी.सी. आई.एम. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंकसूचियों की प्रमाणित प्रति ।

06. मध्यप्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेद एवं यूनानी बोर्ड में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति ।

07. पहचान प्रमाण पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति) ।

08. व्यक्तिगत विवरण पत्रक की 05 छायाप्रति, अनुप्रमाणन फार्म की 02 मूल प्रति, उपस्थित पत्रक की 01 प्रति समस्त कॉलम की पूर्ति कर प्रस्तुत करना हैं ।

04/ पैरा–2 में उल्लेखित दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में आयोग को नहीं भेजे जाते हैं या आयोग को प्राप्त नहीं होते हैं तो यह माना जावेगा कि आप साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं एवं आपकी उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी ।

05/ पैरा–2 में उल्लेखित दस्तावेज दिनांक 26.04.2017 (शाम 05:30 बजे) तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें, अगर डाक विभाग की त्रुटि से या अन्य किसी कारणवश आपके द्वारा भेजे गये अभिलेख निर्धारित समय सीमा के पश्चात् आयोग को प्राप्त होते हैं तो इसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, आपकी साक्षात्कार की उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त की जावेगी ।

अनुभाग अधिकारी (चयन)